**संख्या-65/2506/तीस-3-14-6बी/2014**

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 09 सितम्बर, 2014

विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनागत पक्ष में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-99(जी)सड़क सुरक्षा/14-45स0सु0/2013, दिनॉक 29-08-2014 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित व्यय हेतु लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित व्यय-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्रावधानित धनराशि रू0 30000 हजार (रू0 तीन करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनॉक 14-03-2014 व कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-07-2014 तथा क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों के लिये मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र आदि के क्रय के लिये प्रावधानित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों का शासन स्तर पर नियमानुसार परीक्षण कराये जाने एवं शासन के अनुमोदनोपरान्त व्यय की जायेगी।

(3) इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी

आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0

(नर्वेद सिंह)

संयुक्त सचिव।

**संख्या-65/2506(1)/30-3-2014, तद्दिनॉक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।

5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9

7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(नर्वेद सिंह)

संयुक्त सचिव।